

20/कोर



उत्तरांचल का न्याय विभाग 11/राजेश्वर का

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

81/80/15

प्राथमिक

क्र.सं.	विशेष विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>15 के पी</p> <p>17 के पी</p> <p>प्रणवी</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>17 के पी</p> <p>प्रणवी</p>		<p>28-2-18 प्रकृता 30 P.O. का दारे में पधार है गत आदेश की पालना में दिनांक 04-04-18 को प्रेषित प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>04-4-18 वकील उपपक्ष उपस्थित पेशका सत्का 30 गत आदेश की पालना में दिनांक 25-4-18 को प्रेषित तब तक पूर्व आदेश प्रणवी रहेगा</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
<p>आधिकारिक</p> <p>आदेश की</p> <p>10-1-18 को</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>त आदेश</p> <p>दिनांक 7-2-18</p> <p>पूर्व आदेश</p>		<p>25-4-18 वकील उपपक्ष उपस्थित पेशका सत्का 30 गत आदेश की पालना में दिनांक 11-5-18 को प्रेषित तब तक पूर्व आदेश प्रणवी रहेगा</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
<p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>आदेश की</p> <p>2-2-18 का प्रेषित</p> <p>प्रणवी रहेगा</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p>पुजा</p>	<p>11-5-18 पत्रावली राजस्व लोके अदालत केस कोर्ट एनी गंधका के प्रेषित हुई। उपस्थित पेशका की प्रकाश राजीनामा से निस्कारण वास्तु समझाई की गयी। राजीनामा प्रेषित नहीं किया गया। मूलका वास्तु वंतका आजी लान एवं स्थायी निषेधका से संबंधित है जिसे वर्तमान के नसीबदा विरामा आ</p>	<p>कि 20</p> <p>कि 20</p> <p>कि 20</p> <p>कि 20</p>

फर्द अहकाम

सुरजापूर को बनाम श्री रमेश्वर कौटिल


नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

केस संख्या

81/2015

आर्जनपत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>बंदवाप रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है मूलवाद उभय पक्षों की प्राप्त बंदवाप रिपोर्ट उपरोक्त ही मूलवाद कारिनाओं दोनों पक्षों की सहमति के उपरोक्त समझ लेना तब तक यह बंधनपूर्ण एवं आवश्यक है कि आरजी सुरनाजा खण्ड 704, 705, 706, 721 वाले ग्राम दाणी में स्थित तहसील विलाम में स्थित सह बालेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं भौका की दोनों पक्षों को फंसला मूलवाद पाबंद किया जाय है कि वे राजस्व रिकार्ड व भौका की बंधनपूर्ण बंधन रखने हेतु पाबंद किया जाय है। दोनों पक्षों को तब फंसला मूलवाद आ (आपी निषेधाज्ञा) से पाबंद किया जाय है। पतावली फंसला भूमि लेना एवं तहसील मन्त्र से कदम ले लें मूलवाद से निर्णय भ्रमण ए आर के लिखाया जाकर सुनाया जाय है।</p> <p style="text-align: right;">  पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर) </p>

